केस ऑफिसर स्कीम, हार्डकोर अपराधियों का चयन

Content

Time: 90 min

1. स्थाई आदेश 06/2006, कमांक 03 दिनांक 19.08.2006
2. हार्डकोर अपराधी के संबंध में कार्य योजना, कमांक 463 दिनांक 25.05.2017
3. हार्डकोर विचाराधीन बदियों/गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में ले जाते समय सुरक्षा के संबंध में, कमांक 910 दिनांक 28.07.2016

(5)

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–प–4(7)पुलिस / प्रशासन / 2005–06 / 3 दिनांकः– 19 / 08 / 2006

स्थाई आदेश – 6 / 2006

प्रायः आदतन एवं पेशेवर अपराधियों के भय के कारण गवाह उनके विरूद्ध साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिससे उनके विरूद्ध दर्ज बहुत कम अपराधों में सजा हो पाती है। इससे आपराधिक स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ता है तथा जनता में असुरक्षा एवं भय की भावना घर कर लेती है। साथ ही पुलिस की कार्य कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व केस ऑफिसर योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अपराधियों की सक्रिय गतिविधियों पर अंकुश लगाने, संगठित एवं गम्भीर अपराधों पर काबू पाने तथा जनता में ऐसे अपराधों एवं अपराधियों से असुरक्षा एवं भय के वातावरण को दूर करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के सार्थक परिणामों के दृष्टिगत भविष्य में इसके प्रभावी निष्पादन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं:

केस ऑफिसर योजनाः

केस ऑफिसर योजना के अन्तर्गत सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों तथा पेशेवर एवं आदतन अपराधियों के विरूद्ध अन्वीक्षाधीन प्रकरणों को चयनित कर उन प्रकरणों में केस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। केस ऑफिसर का कार्य प्रकरण की अन्वीक्षा के दौरान केस की प्रगति पर निकट निगरानी रखना, अभियोजक एवं गवाहों से निकट सम्पर्क रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्य समय पर एवं बिना व्यवधान के पेश हों। इसके अतिरिक्त केस ऑफिसर स्वयं द्वारा एवं अभियोजक के मार्फत अदालत से सम्पर्क कर प्रकरण में शीघ्र निस्तारण हेतु जल्दी पेशियाँ करवाने का हर सम्भव प्रयास करेगा। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा भी समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों को प्राथमिकता देने हेतु निर्देश पत्र कमांक Gen/ XV /07/05/669 दिनांक 10.4.06 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

योजना के मुख्य बिन्दु:

क. **केस का चयनः–** सही केस का चयन इस योजना को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है अतः केस के चयन के समय निम्न बिन्दुओं पर गौर किया जावेः–

1. केस का चयन करते समय सर्व प्रथम ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना चाहिए जिनसे आम जनता मे भय व्याप्त हो तथा जिनसे लोग अपनी शारीरिक एवं सम्पति की सुरक्षा बाबत आशंकित हों।

2. ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी हो तथा संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना / सदस्य हों अथवा ऐसे गिरोह तैयार कर रहे हों।

3. अपराधी का चयन करने के पश्चात् उसके विरूद्ध अदालत में विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा ऐसे एक या दो प्रकरण जिनमें साक्ष्य सबसे सुदृढ़ हों और सजा होने की संभावना सर्वाधिक हो, का चयन कर उन पर एक केस ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। आदतन अपराधी के विरूद्ध दो मामले लेने लाभदायक रहते हैं ताकि अगर एक में बरी हो अथवा पी.ओ. एक्ट का फायदा मिले तो दूसरे में सजा हो सकती है।

4. सामूहिक बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार तथा बलात्कार के ऐसे प्रकरण जो जनता में चर्चा का विषय रहे हों तथा जिनसे जनमानस उद्वेलित हुआ हो, को इस योजना के अन्तर्गत लिया जावे।

5. गो वध से सम्बन्धित प्रकरणों को भी केस ऑफिसर योजना में सम्मिलित किया जावे।

प्रकरणों का चयन एक निरन्तर प्रक्रिया रहेगी तथा जैसे–जैसे न्यायालय से प्रकरण निर्णित होते हैं, नये प्रकरण चयनित कर योजना में सम्मिलित किए जाऐंगे।

वृत्ताधिकारी / थानाधिकारी सनसनीखेज एवं गम्भीर अपराधों का अनुसंधान के समय ही इस योजना के तहत चयन कर लेगें तथा विशेष ध्यान देकर साक्ष्य एकत्रित करवायेंगे व सुनिश्चित करेंगे कि अनुसंधान में कोई कमजोरी रह न जावे।

जिन प्रकरणों में अभियुक्त का चालान 299 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत किया गया है, उनको इस योजना के अन्तर्गत रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनमें अभियुक्त की अदम मौजूदगी में न्यायालय में कोई कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं रहती है।

केस ऑफिसर के कर्तव्य:

1. प्रत्येक केस में केस ऑफिसर मनोनीत होने के पश्चात् उक्त केस का भलीभांति अध्ययन करेगा तथा उस केस पर एक पत्रावली संधारित करेगा जिसमें वह केस से सम्बन्धित अदालत की

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण लिखेगा, अदालत की ऑर्डरशीट की प्रतियां रखेगा, न्यायालय के आदेशों की पालना में उसके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा लिखेगा व अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यवाही का उल्लेख करेगा।

2. केस ऑफिसर जिस अपराधी के केस पर नियुक्त हो उस अपराधी पर एक डोजियर भी संधारित करेगा। इस डोजियर में अपराधी से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाऐं होंगी:

(अ) नाम, वल्दियत, पता, टेलीफोन नम्बर
(ब) रिश्तेदारों, सहयोगियों, जमानतदारों, मित्रों के नाम, पते, पेशा, टेलीफोन नम्बर आदि
(स) अपराधी के सम्भावित शरणस्थल व छुपने के स्थान
(द) पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड मय प्र.सू.रि. व चार्जशीट की नकल
(य) अपराधी का तरीका वारदात व अपराध करने का क्षेत्र
(र) अंगुल चिन्ह व फोटोग्राफ

3. केस ऑफिसर न्यायालय द्वारा जारी गवाहों के सम्मन / वारंट समय पर तामील होकर न्यायालय में पहुंचना तथा गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा।

4. केस ऑफिसर प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन की कार्यवाही में आवश्यकतानुसार सहयोग करेगा।

5. केस ऑफिसर, लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक से सम्पर्क रखकर सुनिश्चित करेगा कि प्रकरण की पैरवी सही ढंग से हो रही है तथा साक्ष्य न्यायालय में सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत की जा रही हैं।

6. केस ऑफिसर लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक को गवाह की यादाश्त ताजा करने में मदद करेगा।

7. केस ऑफिसर न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रादर्श समय पर एवं सही अवस्था में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

8. केस ऑफिसर जिन प्रकरणो मे एफ.एस.एल., एफ.पी.बी. आदि की रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा हो, उन्हें पुलिस अधीक्षक के

ध्यान में लाकर रिपोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर मंगवाने की कार्यवाही करेगा।

9. केस आफिसर प्रकरण के समस्त गवाहान से सम्पर्क रखेगा तथा यह भी देखेगा कि उनको अपराधियों द्वारा प्रभावित नहीं किया जावे तथा वे अपराधियों के भय से ग्रसित ना हों। अगर केस ऑफिसर को पता लगे अथवा महसूस हो कि गवाह डरे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त कदम उठायेगा। अगर अपराधियों द्वारा गवाहों को धमकाने / डराने की बात सामने आए तथा उनके प्रभावित होने की संभावना हो तो उनके विरूद्ध अदालत में रिपोर्ट पेश कर आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगा व जमानत खारिज कराने की कार्यवाही करायेंगे।

10. केस ऑफिसर अपराधी की आपतिजनक गतिविधियां, जिनकी सूचना उसको प्राप्त हुई हो, परन्तु किसी के द्वारा उन घटनाओं के बाबत रिपोर्ट नहीं की गई हो, की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने के रोजनामचा आम में दर्ज करायेगा तथा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

11. केस ऑफिसर जब भी अभियुक्त की जमानत हेतु अदालत में आवेदन प्रस्तुत हो तो लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से अथवा केस ऑफिसर स्वयं, अपराधी का पूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड एवं गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर उसकी जमानत का सशक्त विरोध करेगा।

12. केस ऑफिसर सम्बन्धित केस में स्वयं व लोक अभियोजक / सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय को निवेदन कर प्रकरण में दिन प्रतिदिन की पेशी साक्ष्य हेतु निर्धारित करवायेगा ताकि प्रकरण का फैसला शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

13. केस ऑफिसर यह देखेगा कि लोक अभियोजक द्वारा सजा के बिन्दु पर बहस के समय ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने हेतु पुरजोर बहस की जावे तथा अपने तर्कों के समर्थन में अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

14. केस ऑफिसर उपयुक्त प्रकरण में धारा 75 भा.द.सं. व 401 भा.द.सं. के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करवाएगा।

पर्यवेक्षण अधिकारियों के दायित्वः

थानाधिकारी के दायित्वः— थानाधिकारी प्रथम स्तर पर इस योजना के तहत लिए जाने वाले प्रकरणों का चयन कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वे प्रत्येक पेशी के पश्चात् केस ऑफिसर के साथ प्रकरण की समीक्षा कर आगे की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित करेंगे। थानाधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायाधीश व लोक अभियोजक से भी सम्पर्क रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर केस ऑफिसर की मदद करेंगे। थानाधिकारी केस ऑफिसर को अपने दायित्वों के निष्पादन में पूरी सहायता करेंगे।

वृत्ताधिकारी के दायित्वः— वृत्ताधिकारी की इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उचित प्रकरणो का इस योजना के अन्तर्गत चयन हो, यह उनकी जिम्मेदारी है। वृत्ताधिकारी तारीख पेशी के दो दिन पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि गवाहान के सम्मन / वारण्ट तामील हो चुके हैं तथा अदालत को सूचित किया जा चुका है साथ ही यह भी देखेंगे कि साक्ष्य हेतु जाने से पूर्व गवाहान की यादाश्त ताजा करवा दी गई है तथा गवाहान किसी भय से ग्रसित तो नहीं है। जब भी वृत्ताधिकारी थाने पर जाऐं तो थानाधिकारी व केस ऑफिसर के साथ प्रकरणों की समीक्षा करें तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। आवश्यकतानुसार वे सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर, अगर प्रकरण की अन्वीक्षा में कोई बाधा आ रही हो तो उनका निराकरण करवानें की कार्यवाही भी करेंगे।

पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक के दायित्व :— इस योजना की सफलता पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत रूचि पर निर्भर करती है। उनकी प्रकरण के चयन एवं पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि केस ऑफिसर योजना के तहत जिन प्रकरणों का चयन किया जाता है वह उस क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए उचित हों। पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपने जिले के समस्त केस ऑफिसर योजना के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा केस ऑफिसर को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साथ ही अगर उन्हें किसी प्रकार के समन्वय का अभाव नजर आता हो तो जिला कलेक्टर, सत्र न्यायाधीश से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करवायेंगे।

पुलिस अधीक्षक यह भी देखेंगे कि सामान्यतः एक केस ऑफिसर को एक अथवा दो प्रकरणों में ही केस ऑफिसर नियुक्त किया जावे।

केस ऑफिसर योजना के तहत प्रत्येक मामले जिसमें मुलजिम को बरी किया जाता है, उसका परीक्षण करवाकर पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक आवश्यक सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

अगर कोई केस ऑफिसर अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिल पाया जाता है तो पुलिस अधीक्षक उसके विरूद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करेंगे।

(ए.एस. गिल)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान मय आर.ए.सी. / रेल्वे।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी., जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय रेल्वे अजमेर / जोधपुर /सीआईडी(एसएसबी / सुरक्षा)।
6. समस्त कमाण्डेन्ट एम.बी.सी., पी.टी.एस., आरएसी बटालियन मय आई.आर बटालियन।
7. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पु. मु. राज., जयपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

Be kept in Policy file. Revised list be put up ?

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः–व–15( )पुलिस–प्रशासन / 2015 / 463 दिनांकः–25.05.2017

स्थाई आदेश संख्याः– 06 / 2017

	ATS	SOG
ADGP 3	✓	✓
DIGP		
Letter No. & Date 3094 29/5/17		

विषयः–हार्डकोर अपराधी के सम्बन्ध में कार्ययोजना।

पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा हार्डकोर अपराधी को कारागार से न्यायालय अथवा एक जिले से दूसरे जिले में पेशी पर उपस्थित किये जाने के दौरान अपनाई जानेवाली प्रकिया के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त निर्देशों/आदेशों के कम में निम्नलिखित अनुसार मार्ग–निर्देशिका के रुप में आदेश जारी किये जाते है, जिनकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करें:–

- वह अपराधी जो बार–बार अपराध करता हो तथा आपराधिक कार्य ही उसका व्यवसाय एंव जीविका हो तथा जिसके सुधरने की संभावना नही है, ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद आसानी से उनकी जमानत नही हो पाये तथा अतिशीध उनके विरूद्व मुकदमो की ट्रायल पूर्ण करवा कर उनको सजा दिलवाकर जेल मे ही रखा जा सके, इसके लिए राजस्थान पुलिस द्वारा वर्ष 2004 में एक कार्य योजना तैयार की गई थी। इस कार्य योजनान्तर्गत ऐसे अपराधियों को बिना किसी विशेष परिभाषा के उपरोक्त–वर्णित मापदण्डो के आधार" हार्डकोर अपराधी" कहा गया है।

  हार्ड कोर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्व प्रभावी कानूनी कार्यवाही जिसमें सी.आर.पी.सी. के प्रावधान एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही एवं निरोधात्मक गिरफ्तारी भी शामिल है, सुनिश्चित किया जाना हार्ड कोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना का मुख्य उदेश्य है।

- हार्ड कोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना मे इनकी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा रजिस्टर मे इनका थानेवार इन्द्राज कर थानाधिकारियों एवं वृत्ताधिकारियों को निर्देशित कर इन अपराधियों के विरूद्व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर इनकी जमानत नही होने देने तथा इनके विरूद्व लम्बित प्रकरणों का शीध्र निस्तारण कर इन्हे सजा दिलवाने के लिए " केस ऑफिसर स्कीम" के अन्तर्गत लिया जाना आवश्यक कदम है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए हार्डकोर अपराधी का आपराधिक रिकार्ड प्रस्तुत किया जाना, सम्मन वारन्ट तामील एवं समय पर न्यायालय में गवाहो के बयान करवाया जाना तथा गवाहो को डरा–धमका कर पक्षद्रोही होने से रोकना हार्डकोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना एवं "केस ऑफिसर स्कीम " का प्रमुख

Special Operations Group, Rajasthan
I.G.P.
Addl. SP
S.P.
Receipt No. 1354/30-5-17
Section

Addl SP Adm

उदेश्य है। जिला पुलिस अधीक्षक, द्वारा व्यक्तिगत निगरानी एंव वृत्ताधिकारी द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण इस योजना के प्रमुख प्रावधान है, जो इसकी सफलता के लिए आवश्यक है। ऐसा माना गया है कि हार्डकोर अपराधियों को लम्बे समय तक जेल मे निरूद्व रखने से सम्बधित थाना क्षैत्र एवं जिले की आपराधिक स्थिति मे बहुत बड़ा सुधार आयेगा। गत वर्षो मे ऐसे आपराधियों के विरूद्व की गई प्रभावी कार्यवाहियो के उपरान्त अपराधों मे हुई रोकथाम इस अवधारणा को प्रमाणित करती है।

❖ इस कार्ययोजना का शुरूआती उदेश्य, उन्ही अपराधियों को हार्डकोर अपराधी चिन्हित कर उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करना था जिनका समाज में भय था तथा वे होने वाले अधिकाश जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार थे। उनके विरूद्व प्रभावी कार्यवाही से आपराधिक स्थिति में अत्यधिक सुधार सम्भव हो सकता था। ऐसे हार्डकोर अपराधी अनगिनत एवं अत्यधिक नही हो कर हर जिले मे ऐसे गिने चुने अपराधी थे जिनके विरूद्व जिला पुलिस के सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुऐ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर उनको लम्बे समय तक जेल मे निरूद्व रख कर अपराधों पर नियंत्रण करना था।

❖ इस कार्ययोजना की कियान्विती के दौरान न्यायालय मे तारीख पेशी भुगताने तथा एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के दौरान हार्डकोर अपराधियों को विरोधी गेंग के अपराधियों से जान का खतरा होने तथा/अथवा इनके पुलिस कस्टेडी से फरार होने के सम्भावित खतरों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर हार्डकोर अपराधियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली चालानी गार्ड की नफरी, दक्षता, वाहन, हथियार, अपनाई जाने वाली मानक कार्य प्रणाली (SOP) एवं विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों के मध्य समन्वय से संबधित आदेश जारी किये गये है। यह सभी आदेश/निर्देश इन सभी हार्डकोर अपराधियों की राजस्थान राज्य से बाहर की तारीख पेशी से संम्बधित यात्रा के सम्बन्ध में भी लागू होते है जिनकी वजह से इनको तारीख पेशी भुगताने के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधन जैसे पुलिस कर्मी, वाहन, हथियार तथा समन्वय हेतु जिला पुलिस के अधिकारियों का काफी समय इस पर व्यय होता है।

❖ इस कार्ययोजना की कियान्विती के कम मे जारी विभिन्न लिखित आदेश पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए प्रदत्त किये गये मोखिक निर्देशो एंव जिला पुलिस के उच्चधिकारियों के अति उत्साह के कारण हार्डकोर अपराधियों के चयन के माप-दण्ड़ो की उदारतापूर्वक व्याख्या/विश्लेषण के कारण कालान्तर मे इनकी संख्या मे अत्यधिक बढोतरी हो गई है। इसी के साथ हार्डकोर अपराधियों की विभिन्न श्रेणिया, जैसे थाना स्तर, जिला एवं रेंज स्तर, वर्तमान समय मे प्रचलित है। यहा यह स्पष्ट किया जाना वॉछित है कि हार्डकोर अपराधियों के विरूद्व कार्ययोजना से संबधित जारी आदेश/निर्देश सभी हार्डकोर अपराधियों के लिए लागू है तथा विभिन्न

श्रेणिया जो इस समय प्रचलन मे है इनके लिए कार्ययोजना मे अलग–अलग आदेश/निर्देश/कदम निर्धारित नही किये गये है।

❖ चयनित हार्डकोर अपराधियों की अत्यधिक संख्या एवं उदारतापूर्वक चयन के निम्नलिखित दुष्प्रभाव स्पष्ट उजागर हो रहे है :–

1. जिला पुलिस एवं विभाग के सिमित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव

2. हार्डकोर अपराधियों की अत्यधिक संख्या के कारण इस कार्ययोजना के मूल उदेश्य से समझौताः छोटे–मोटे अपराधी तत्वों के हार्डकोर मे चयन से खतरनाक अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही के लिए समय एवं संसाधनों की कमी इस योजना को निष्प्रभावी बना रही है।

3. छोटे–मोटे अपराधी को उपलब्ध करवाई जाने वाली विशेष चालानी गार्ड एवं एस्कॉर्ट इत्यादि ऐसे अपराधी का अपराधिक कद बढ़ाती है जिससे उसका समाज मे भय एंव अधिक अपराध करने की समता मे वृद्वि हो सकती है।

❖ हार्डकोर अपराधियों के विरूद्व कार्य योजना के कियान्वयन मे समय के साथ उत्पन्न खामियों एवं उनके होने वाले उपरोक्त वर्णित दुष्प्रभावों के निवारण हेतु इस कार्ययोजना से संबधित महत्वपूर्ण बिन्दुओ/प्रावधानों के बारे मे निम्नांकित आदेश जारी किये जाते है :

1.परिभाषा :–पुलिस मुख्यालय से समय–समय पर जारी विभिन्न आदेश/निर्देशों मे "हॉर्डकोर अपराधी" की एक निर्धारित परिभाषा नही दी जाकर, किस अपराधी का चयन हार्डकोर अपराधी के रूप मे किया जाये इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। इस कार्ययोजना के व्यावहारिक अनुप्रयोग हेतु ऐसा किया जाना आवश्यक समझा गया था ताकि विभिन्न प्रकार की आपराधिक पृष्ठभुमि वाले सभी जिलो मे इसे लागू कर सफल बनाया जा सके।

किसी भी अपराधी के"हार्डकोर अपराधी"के रूप मे चयन हेतु निम्नांकित आवश्यक शर्ते है :–

(i) अपराध करने का अभ्यस्त हो (Habitual)/बार–बार अपराध करता है (Racidivist)
(ii) आपराधिक कार्य ही उसका मुख्य व्यवसाय/जीविकोपार्जन का साधन है।
(iii) जिसके सुधरने की संभावना नही हैं।

इन आवश्यक शर्तो के अतिरिक्त निम्नांकित एक या अधिक पूरक शर्तो होना भी हार्डकोर अपराधी के चयन के लिए अनिवार्य है :–

(क) जिसका समाज में अत्यधिक भय है।

(ख) खुद का गैंग चलाता है।
(ग)सनसनीखेज(Sensational)/दहलाने वाला(Daring) अपराध कारित करता है।
(घ) नये अपराधियों का प्रेरणाश्रोत बनकर उनको अपराध की तरफ आकर्षित करता है।
(ड.) जिसको जेल मे निरूद्व रखने से क्षेत्र की आपराधिक स्थिति मे अत्यन्त सुधार हो।

जिला पुलिस अधीक्षक अपने जिले की आपराधिक पृष्ठभूमि के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों को उपरोक्तवर्णित आवश्यक शर्तो के अतिरिक्त एक या अधिक पूरक शर्तो की श्रेणी में आने पर ही " हार्डकोर अपराधी " रूप में चयन कर सकते है।

जिला पुलिस अधीक्षक अन्य अपराधियों, जिनके लिए विशेष निगरानी रखी जाकर उनकी अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु विशेष उपाय करना आवश्यक समझते है परन्तु वह हार्डकोर अपराधी के मापदण्ड को पूर्ण नही करता है, की हिस्ट्रीशीट, राऊडीशीट या डोसियर तैयार कर उनके विरूद्व आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करेगें।

2. **चयन प्रक्रिया** : हार्डकोर अपराधी के चयन की प्रमुख जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक की होगी, जिला पुलिस अधीक्षक हार्डकोर अपराधी के चयन हेतु आवश्यक शर्तो एवं पूरक शर्तो के अन्तगर्त आने वाले अपराधियों की अपराधिक गतिविधि एवं सम्पूर्ण अपराधिक रिकॉर्ड पर महानिरीक्षक पुलिस,रेंज से गहनता से विचार विमर्श कर अपने जिले के हार्डकोर अपराधियों का चयन कर सूची तैयार करगें तथा हार्डकोर अपराधियों की सूची का अनुमोदन महानिरीक्षक पुलिस रेंज के माध्यम से अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस एस.ओ.जी.करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एस.ओ.जी. यह सुनिश्चित करगें की हार्डकोर अपराधी का चयन अक्षरशः एवं इस पत्र में वर्णित प्रावधानों की मंशानुसार हुआ है। किसी भी नये नाम को सूची में जोडने के लिए भी उपरोक्त वर्णित प्रकिया अपनाई जायेगी।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,एस.ओ.जी.द्वारा अनुमोदित हार्डकोर अपराधी के अतिरिक्त अन्य कोई अपराधी हार्डकोर अपराधी नही कहलाया जायेगा।

3–कार्ययोजना : प्रत्येक हार्डकोर अपराधी की गतिविधियों की निगरानी हेतु जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अधिकारी नामित किया जायेगां। नामित अधिकार (Designated Officer) के उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें :

(i) नामित अधिकारी(Designated Officer) द्वारा हार्डकोर की गतिविधियों, कार्यक्षेत्र, साथियो एवं सहयोगी अपराधियों एवं हार्डकोर के सम्पूर्ण आपराधिक रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की जायेगीं तथा उसके शरण स्थलों, जमानतदारो एवं सहानुभूति रखने वाले लोगों के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सम्पूर्ण जानकारी (Modus Operandi सहित) का डोजियर तैयार किया जायेगा ।

(ii) हार्डकोर अपराधी के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही, निरोधात्मक गिरफ्तारी एवं अभियोग दर्ज करवाकर उनका गहन अनुसंधान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करना।

(iii) हार्डकोर अपराधी के केसेज का केश ऑफिसर स्कीम मे लिया जाना : केश ऑफिसर के रूप मे कार्य करना : यदि केश ऑफिसर अन्य अधिकारी है तो पैरवी मे उसकी सहायता करना : PP/APP से सहयोग,गवाहों की समय पर उपस्थिति तथा उनकी ब्रीफिंग सुनिश्चित कर न्यायालय मे बयान करना।

(iv) हार्डकोर अपराधी के विरूद्व लम्बित समस्त अभियोगो का रिकार्ड तैयार कर न्यायालय मे दिन प्रतिदिन की कार्यवाही का संक्षिप्त एवं सारगमित इन्द्राज

(v) समय पर सम्मन वांरन्ट की तामिल सुनिश्चित कराना।

(vi)गवाहों को डरा धमकाकर पक्षद्रोही किये जाने से रोकना।

(vii)PP/APP से सहयोग कर जमानत न होने देना।

(viii)हार्डकोर की समस्त गतिविधियों का इन्द्राज डोजियर एवं रोजनामचाआम (GD) मे सुनिश्चित कर कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु दिशा निर्देश अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एस.ओ.जी. द्वारा आवश्यकतानुसार जारी किये जायेगें।

(4) पुलिस अभिरक्षा में आवागमन के समय हॉर्डकोर अपराधी की सुरक्षा व्यवस्था:

पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर खतरनाक अपराधियों, चालानी गार्ड पर हमला करवाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले संभावित अपराधियों अथवा वह अपराधी जिसको गेंगवार के कारण अपने विरोधी अपराधिक गेंग के सदस्यों से जान का खतरा है, कि पुलिस कस्टडी में जेल से न्यायालय या अन्य जेल लाये एवं वापिस ले जाने समय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कतिपय आदेश/निर्देश जारी किये गये है। इन आदेशों की निरन्तरता मे हॉर्डकोर अपराधियों के पुलिस अभिरक्षा में आवागमन हेतु सुरक्षा व्यवस्था का निम्न प्रकार निर्धारण किया जाता है:

(क) चालानी गार्ड: हॉर्डकोर अपराधी की पुलिस अभिरक्षा में आवागमन के समय उपलब्ध करवाई जाने वाली चालानी गार्ड का निम्न प्रकार निर्धारण किया जाता है।

क्र.स.	एस.आई.	हैड कानि.	कानिस्टेबल
एक कैदी	–	1	4
दो कैदी	1	1	4
तीन कैदी	1	2	8
चार कैदी	1	2	8

चार से अधिक हॉर्डकोर अपराधियों के लिए इसी अनुपात में चालानी गार्ड का संख्या का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। **विशेष परिस्थितियों में, जहां कैदी के हिरासत से भागने अथवा विरोधी अपराधियों से जान का अत्यधिक खतरा होने की अत्यधिक आशंका होने पर, जिला पुलिस अधीक्षक अपने महानिरीक्षक पुलिस रेंज की अनुमति से चालानी गार्ड की नफरी में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर सकते है।**

चालानी गार्ड के कानिस्टबल की पूर्ण नफरी मे कम से कम आधी नफरी कमाण्डो शामिल किया जाना आवश्यक है।

(ख) वाहनः हॉर्डकोर अपराधी एवं सुरक्षार्थ चालानी गार्ड के आवागमन हेतु आवश्यकतानुसार छोटा या मिडियम साईज विशेष पुलिस वाहन निर्धारित किया गया है। इस बाबत् सभी जिलों मे एक वाहन को तैयार करवाया है। जिसमें स्पेशल (Special Sitting Arrangements) सी.सी.टी.वी. कैमरा उपलब्ध है। उसी वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए, वाहन अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है, यात्रा के समय सायरन का उपयोग नही किया जायें। हॉर्डकोर अपराधी के अन्तर जिला एवं अन्तरराज्यीय आवागमन हेतु विशेष सरकारी वाहन ले जाने के लिए पूर्व स्वीकृति हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कानून–व्यवस्था को लिखा जाना आवश्यक है।

(ग)हथियारः हॉर्डकोर की सुरक्षार्थ चालानी गार्ड कमांडर एवं सदस्यों के पास उनके पास उनके सर्विस हथियार,जिसमें कमाण्डो के पास स्वचालित हथियार शामिल है, मय पर्याप्त एम्युमिशन होना आवश्यक है। हथियारो की समय पर सफाई एवं अच्छा रख–रखाव आवश्यक है जिला पुलिस अधीक्षक सुरक्षाकर्मियो का पर्याप्त प्रशिक्षणसुदा होना एवं वार्षिक चॉदमारी में फायरिंग अभ्यास किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(घ)एस्कॉर्टः सामान्यतः अपराधियो के पुलिस अभिरक्षा में आवागमन के समय एस्कॉर्ट लगाया जाना वर्जित है, परन्तु विशेष परिस्थितिया जैसे किसी कैदी की जान को विरोधी के सदस्यो से गंभीरखतरा होने अथवा हॉर्डकोर अपराधी द्वारा चालानी गार्ड पर अपने गेंग के सदस्यों द्वारा हमला करवा कर पुलिस अभिरक्षा से छुडाये जाने की संभावना के मध्यनजर संबंधित पुलिस अधीक्षक महानिरीक्षक पुलिस रेंज की पूर्वानुमति से जिले में एवं अन्तर जिला आवागमन हेतु सुरक्षार्थ एस्कॉर्ट लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ड.)अन्तर जिला पुलिस समन्वयः हॉर्डकोर अपराधी के पुलिस अभिरक्षा में अन्तर जिला आवागमन के समय हॉर्डकोर को पुलिस अभिरक्षा से फरार होने से रोकने एवं विरोधी गेंग के सदस्यो से जान का खतरा होने की विशेष परिस्थिति में चालानी गार्ड, सुरक्षा एस्कॉर्ट एवं रूट में पडने वाले थाना क्षेत्रो में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उत्तरदायी होगें जो अपने जिला पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्शन में संबधित जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय से समन्वय एवं सहयोग कर आवश्यक एवं सुचारू पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित करेंगे। इस व्यवस्था से संबधित सुरक्षाकर्मियों के नियोजन एवं ब्रीफिंग की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय एवं संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन की होगी।
संचित निरीक्षक, सुरक्षा मे लगाये जाने वाले पुलिस कर्मचारियों का चयन करते समय यह ध्यान रखे की एक पुलिस कर्मी को बार–बार ड्युटी मे नही लगाया जावें। सुरक्षा गार्ड मे अच्छी कद काठी, शारीरिक रूप से स्वस्थ कार्मिक को पूर्णरूप से ब्रीफ कर तैनात किया जावें। सुरक्षा गार्ड मे अपराधी के रिश्तेदार एवं सहानुभमति रखने वाले कार्मिकों को नही लगाया जाये। अगर सुरक्षा गार्ड मे अनियमितता व कमी पाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय एवं संचित निरीक्षक, पुलिस लाईन की रहेगी।

(च) – मानव संसाधन विकास

(i) हार्डकोर अपराधियों की सुरक्षार्थ गठित चालानी गार्ड एवं एस्कोर्ट सदस्यों की नियुक्ति वार्षिक आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में ओ0बी0 आदेश के द्वारा की जावेगी। इन टीमों के प्रत्येक सदस्य हेतु न्यूनतम् मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:–

- 40 वर्ष से कम आयु का हो।
- शारीरिक एवं मानसिक रुप से पूर्णतया स्वस्थ एवं चुस्त दुरुस्त हो।
- प्रत्येक सदस्य/अधिकारी अर्द्धवार्षिक रुप से फायरिंग अभ्यास करेगा।

(ii) जिला पुलिस अधीक्षक अपने जिले के सभी नामित अधिकारी(Designated Officer) एवं केस ऑफिसर का समय–समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में संगठित अपराध एवं अन्य जघन्य अपराधों के नियन्त्रण एवं अनुसंधान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन्हे प्रमुखता से मनोनीत करेंगे।

(iii) प्रशिक्षण संस्थान हार्डकोर अपराधी स्कीम से संबंधित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते है।

(छ)चालानी गार्ड हेतु विशेष निर्देश :

1. प्रत्येक हॉर्डकोर अपराधी को पुलिस अभिरक्षा मे आवागमन के समय हथकडी लगाना आवश्यक है। हथकडी लगाने के आदेश न्यायालय से प्राप्त करने की जिम्मेदारी केस ऑफिसर एवं नामित अधिकारी (Designated Officer) की होगी। जिला पुलिस अधीक्षक इसकी पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. जहॉ तक सम्भव हो यात्रा सूर्योदय से सूर्यास्त के समय ही की जाय। रात्रि समय हो जाने पर हॉर्डकोर अपराधी को सम्बधित थाना की हवालात मे दाखिल कर थाने पर रात्रि विश्राम कर सुबह होने पर अग्रिम यात्रा हेतु प्रस्तान किया जायें।

3. हॉर्डकोर अपराधी से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह बर्ताव नही कर एक अपराधी, जिसकी अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, माना जाना चाहिये। हॉर्डकोर अपराधी को पुलिस अभिरक्षा मे सुरक्षा कारणो से हथकडी लगाकर एवं चेहरा ढककर रखा जाना आवश्यक है।

4. चालानी गार्ड हॉर्डकोर अपराधी को लाते–ले जाते समय निर्धारित स्थानों के अलावा वाहन को राकने एवं अपराधी को लघु शंका एवं जलपान इत्यादि के लिए बाहर निकालने की बिल्कुल कोशिश नही करे। संबधित जेल, न्यायालय या पुलिस थाने के अलावा सभी ठहराव वर्जित है।

5. हॉर्डकोर को उसके किसी भी सहयोगी एवं रिश्तेदार इत्यादि से नही मिलने दिया जाये। किसी भी व्यक्ति से मोबाईल इत्यादि सें वार्ता नही करने देना सुनिश्चित करेंगे। कैदी को किसी भी प्रकार की अवांछनीय एवं नियम विरूद्ध सहायता प्रदान नही कराई जाये।

6. कैदी या उसके जानने वालो से कोई भी खाने–पीने की वस्तुए अथवा महमाननवाजी अथवा किसी भी प्रकार की अन्य सहायता स्वीकार नही करेंगे।

7. आवागमन के समय विशेष एस्कॉट एवं संबधित थानाधिकारियों से निरन्तर वायरलेस सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखेंगे।

8. ड्यूटी के दौरान कियी प्रकार की संदिग्ध एवं अवांछनीय गतिविधि की सूचना संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन को लिखित में देगें।

(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1–समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान। ATS & SOG
2–निदेशक, एस0सी0आर0बी/आर0पी0ए0/दूरसंचार, राजस्थान।
3–पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4–समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5–समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर/समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी0आर0पी0 अजमेर/जोधपुर।
6–प्रधानाचार्य, आर0पी0टी0सी0/किशनगढ।
7–समस्त कमाण्डेन्ट, आर0ए0सी0 बटा0/एम0बी0सी0/हाडारानी बटा0 एवं समस्त प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान।
8–पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राज0 जयपुर।

25/5/17

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– 2280-88

दिनांकः– 15.6.17

1. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रैन्ज, राजस्थान
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर, राजस्थान

विषय :– हार्डकोर अपराधियों के चिन्हितकरण बाबत।

प्रसंग :– महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 06/2017 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के स्थाई आदेश संख्या 06/2017 के अन्तर्गत वर्णित हार्डकोर अपराधी सम्बन्धी प्रावधानों के तहत आपकी रैन्ज/आयुक्तालय में अब तक चिन्हित किये गये हार्डकोर अपराधियों की सूची अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जरिये मेल (splcrimejpr@gmail.com) पर उपलब्ध कराने का श्रम करें ताकि परिपत्र में वर्णित निर्देशो की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(उमेश मिश्रा)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
एटीएस एवं एसओजी, राज0 जयपुर।

(2) 75

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः—व—15(   )पुलिस—प्रशासन/2016/ 910   दिनांकः— 28-7-2016

1— समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान।
2— समस्त जिला पुलिस उपायुक्तगण, जयपुर/जोधपुर।

विषय :—हार्डकोर विचाराधीन बंदियों/गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में ले जाते समय सुरक्षा के संबंध में।

प्रसंग :—इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 1330 दिनांक 24.09.15, 1411 दिनांक 08.10.15, 1681 दिनांक 04.12.15 एवं वितन्तु सन्देश क्रमांक 144 दिनांक 20.01.16 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में जिलों के कारागाहों/केन्द्रीय कारागाहों में बन्द विचाराधीन हार्डकोर बन्दियों को तारीख पेशी पर न्यायालयों में सुरक्षित ले जाने के संबंध मे इस कार्यालय से समय—समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसी क्रम में हार्डकोर बन्दियों के हथकड़ी लगाने की अनुमति संबंधित न्यायालयों से प्राप्त कर हथकड़ी लगाने के निर्देश दिये गये है। परन्तु हाल ही में चालानी गार्ड रिजर्व पुलिस लाईन भरतपुर की हिरासत से बन्दी हारून के फरारी की घटना की समीक्षा से पाया गया है कि बार—बार पुलिस मुख्यालय के लिखित निर्देशों व विडियों कान्फ्रेन्सिंग के दौरान इस विषय पर सेन्सेटाईजेशन के बावजूद जिलों मे हार्डकोर बन्दियों को तारीख पेशी पर भेजने का कार्य पुलिस लाईन में आर.आई. व हवलदार मेजर के स्तर पर हो रहा है। इस कार्य में जिला मुख्यालय पर पदस्थापित उच्चाधिकारियों का समुचित निकट सुपरविजन नही रहता है। हार्डकोर बन्दियों के आपराधिक रिकार्ड व हथकड़ी लगाने की अनुमति प्राप्त करने के साथ—साथ चालानी गार्ड के कार्मिकों का उचित चयन, पर्याप्त नफरी, उनकी ड्यूटी संबंधी ब्रिफिंग, हथियारों का चयन व संख्या निर्धारण, वाहन संबंधित न्यायालय के रूट के जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस थानों से समन्वय व सहयोग, न्यायालय परिसर में सुरक्षा आदि सुपरवाईजरी कार्यो में जिला स्तरीय पुलिस उच्चाधिकारियों की सक्रिय भूमिका नही रहती है जिससे बन्दियों की फरारी की घटनाओं पर अंकुश नही लगा है।

अतः उक्त संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अति0 पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय जो पुलिस लाईन प्रशासन का प्रभारी भी होता है, पुलिस लाईन से बंदियों को तारीख पेशी पर भेजने के लिए भेजी जाने वाली

264
2/8/16

चालानी गार्ड / सुरक्षा गार्ड के चयन, ब्रिफिंग, हथियार व वाहनों का निर्धारण, रूट के जिला पुलिस अधीक्षकों, थानाधिकारियों व जेल अधिकारियों से सम्पर्क व समन्वय व हार्डकोर बंदियों के आपराधिक रिकार्ड का संकलन आदि कार्यो के लिए उत्तरदायी रहेगें तथा पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लिंक अधिकारी भी लगाया जावें, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुख्यालय से बाहर होने पर यह कार्य देखेगें।

इसके अतिरिक्त स्वयं पुलिस अधीक्षक, अति0 पुलिस अधीक्षक व वृताधिकारीगण कम से कम माह में एक बार जिले में आने वाले सभी न्यायालय यथा मुख्यालय और उपखण्ड स्तर पर न्यायालय समय में चालानी गार्ड की सरप्राइज चैकिंग कर सुनिश्चित करेगें की वें बंदियों की सुरक्षा ड्यूटी मे लापरवाही नही करें। यदि कोई पुलिस कार्मिक इसमें कोताही / लापरवाही बरतता पाया जाता हैं तो उस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

कृपया इसे सर्वोपरि प्राथमिकता देवे।

भवदीय

(हवासिंह घूमरिया)
महानिरीक्षक पुलिस,
कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1– समस्त अति0 महानिदेशक पुलिस, रेंज प्रभारी। RPA
2– समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान ।
3– पुलिस आयुक्त जयपुर / जोधपुर।

महानिरीक्षक पुलिस,
कानून–व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर